

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (फिक्स्ड डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमंक जी. 2-22-छत्तीसगढ़/मच2/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुप
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमंक 121-अ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2003—वैशाख 19, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, डाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2003

अधिसूचना

क्रमंक एफ-10-19/2003/वा. क. (पं.)/पांच (44).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-19/2002/वा.क. (पं.)/पांच (31), दिनांक 27 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, और उक्त अधिनियम की धारा 79 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उसे प्रकाशित करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के हिन्दी पाठ में स्पष्टीकरण की दूसरी धंक्ति में शब्द "स्टाम्प शुल्क" के स्थान पर शब्द "पंजीकरण शुल्क" अन्तः स्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2003

क्रमांक एफ-10-19/2003/वा.क. (पं.)/पांच (44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-19/2003/वा.क. (पं.)/पांच (44), दिनांक 9-5-2003 को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव

Raipur, the 9th May 2003

NOTIFICATION

No. F-10-19/2003/CT (R)/V(44).—In exercise of the powers conferred by section 78 of Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908) the State Government, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification No. F-10-19/2003/CT (R)/V (31) dated 27th March, 2002 and publishes the same as per the requirement of section 79 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the second line of Hindi version of the said notification the words "Stamp Shulk" shall be substituted by the words "Paujikan Shulk".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.